न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 106/2023 निर्णय दिनांक :–25.11.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. गोपाल पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. निकिता पुत्री लादूलाल जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. भवंरलाल पुत्र सरलाल जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. राकेश पुत्र लादूलाल जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. संगीता पुत्री लादूलाल जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. सत्यनाराण पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. सरिता पत्नि स्व0 लादूलाल जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
9. सविता पुत्री लादूलाल जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. सीताराम पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
11. बद्रीलाल पुत्र सूरजमल जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. शायर देवी पत्नि शिवराज जाति जाट (सिरोठा) निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. किशन कवंर पत्नि मेघराज सिंह जाति राजपूत निवासी चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार महोदय, तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री रमेश चंद शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह है प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 429 खसरा नंबर 889 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 890 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 891/1411 रकबा 0.13 है0, भूमि वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण के सहखातेदारान से खसरा नंबर 891 मे से 0.11 है0, भूमि क्रय की थी जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 ने 0.06 है0, भूमि तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने 0.05 है0, भूमि क्रय कर अपना खाता अलग से राजस्व रिकॉर्ड में कायम करवा लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 के खाता संख्या 409 खसरा नंबर 1777/891 रकबा 0.06 है0 है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के खाता संख्या 37 खसरा नंबर 891 रकबा 0.05 है0 है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अपना–अपना खाता अलग करवाये जाने के बाद राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम करवायी गयी , तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो द्वरा सही तरीके से तरमीम नही की गई जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खसरा नंबर 891 व 1177/891 की भूमि को नक्शा ट्रेस मे 0.11 है0 से अधिक भूमि की तरमीम कर दी गई जिसके कारण नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण की भूमि कम अंकित हो गयी। उक्त नक्शा ट्रेस में हुई गलत तरमीम के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के बीच सीमा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जमीन नपवाये जाने पर भी विवाद का निस्तारण नही हो पा रहा है। इस कारण उक्त विवाद को खत्म करने के लिये ग्राम सरोली की नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख 1 व 2 की भूमि की तरमीम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे अंकित भूमि के अनुसार दुरूस्त किया जाना न्याहित में आवश्यक है। वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 4 एवं प्रार्थना पत्र के चरण नंबर 1 में वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 मे प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 8 ता 11 मे प्रत्येक का 1/20 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 मे प्रत्येक का 1/20 हिस्सा अंकित होना चाहिये था जिसे दुरूस्त कर हिस्सा उसी अनुरूप इन्द्राज दिये जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि हाल जमाबंदी ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 के हाल खाता संख्या 429, 37, 409 मे स्थित खसरा नंबर 889, 890, 891/1411 खसरा नंबर 1777/891 खसरा नंबर 891 की भूमि की तरमीम नक्शा ट्रेस मे दुरूस्त की जाकर जमाबंदी मे अंकित रकबे के अनुसार किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी सरकार पैरोकार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो इस प्रकार हैः– प्रार्थना पत्र का चरण सं0 1 रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण सं0 2 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1777/891 रकबा 0.06 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 2 के नाम खसरा नं. 891 रकबा 0.05 है0 का रिकॉर्ड में दर्ज होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण सं0 3 स्वंय सिद्ध करे। प्रार्थना पत्र का चरण सं0 4 न्यायिक है। प्रार्थना पत्र का चरण सं0 4 न्यायिक है।

विशेष आपत्तिया :– रा0ले0रे0 एक्ट 1956 की धारा 136 मे अधिकार अभिलेख मे भू प्रबंध के पूर्व हुयी त्रुटि को शुद्ध करने का प्रावधान है। परन्तु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तरमीम शुद्ध कराने हेतु प्रस्तुत किया है जो रा0ले0रे0 एक्ट 1956 को धारा 136 के क्षैत्राधिकार मे नही आता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 भूमि आराजी भूमि खाता संख्या 429 खसरा नंबर 889 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 890 रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 891/1411 रकबा 0.13 है0, भूमि वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण के सहखातेदारान से खसरा नंबर 891 मे से 0.11 है0, भूमि क्रय कर अपना खाता अलग से राजस्व रिकॉर्ड में कायम करवा लिया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा अपना–अपना खाता अलग करवाये जाने के बाद राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम करवायी गयी जिसमें नक्शा ट्रेस में 0.11 है0 से अधिक भूमि की तरमीम कर दी जिससे प्रार्थीगण की भूमि नक्शा ट्रेस कम अंकित हो गई। चूंकि रा0ले0रे0 एक्ट 1956 की धारा 136 मे अधिकार अभिलेख मे भू प्रबंध के पूर्व हुयी त्रुटि को शुद्ध करने का प्रावधान है। परन्तु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तरमीम शुद्ध कराने हेतु प्रस्तुत किया है जो रा0ले0रे0 एक्ट 1956 को धारा 136 के क्षैत्राधिकार मे नही आता है। इस हेतु प्रार्थीगण को न्यायालय में नियमित वाद पेश करना चाहिए।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 के नियमो से परे होने के कारण अस्वीकार/खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)